डॉ. जगन्नाथ मिश्र

पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार

मुख्यमंत्री रहे केवल 5½ साल उपलब्धियां अनेक

11 अप्रैल 1975 – 30 अप्रैल 1977 तक

08 जून 1980 – 14 अगस्त 1983 तक

06 दिसंबर 1989 – 10 मार्च 1990 तक

दो शब्द

नमस्कार..अक्सर आपमें से कई लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि मेरे पिताजी डॉ. जगन्नाथ मिश्र जी 3 बार एकीकृत बिहार (उस समय बिहार और झारखण्ड एक ही राज्य थे) के मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने बिहार की प्रगति में क्या योगदान दिया ? आपका पूछना बिल्कुल उचित है क्योंकि एक सजग नागरिक होने के नाते आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि जनता ने जनप्रतिनिधियों को जो जिम्मेदारी सौंपी, उसे कितना पूरा किया गया और जो पूरी नहीं की जा सकी, उसके पीछे क्या कारण थे ? सवाल चूंकि मुझसे पूछे जाते रहे हैं, इसलिए सार्वजनिक जीवन में होने के कारण यह मेरा कर्तव्य है कि डॉ. जगन्नाथ मिश्र जी के शासन में बिहार सरकार के कार्यों की जानकारी आपतक पहुंचाऊं।

यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज जो युवा पीढ़ी सोशल मीडिया से जुड़ी है, उसे मेरे पिताजी के कार्यकाल की कार्य–योजनाओं की जानकारी नहीं है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि उनका आखिरी कार्यकाल बीते भी 29 साल हो चुके हैं। हालांकि मैं अपने फेसबुक के माध्यम से उपर्युक्त जानकारियाँ संक्षिप्त रूप से समय–समय पर देता रहा हूँ। परन्तु आप भी जानते हैं कि फेसबुक पोस्ट में सारी जानकारियां दे पाना संभव नहीं है, इसलिए यह मेरा प्रयास है कि इस पुस्तिका के माध्यम से उनके कार्यकाल में जनहित में लिए गये महत्वपूर्ण निर्णयों से अवगत करा सकूं। इन जानकारियों के सामने आने से कई पूर्वाग्रह भी मिट सकेंगे।

बिहार के बारे में उनके विचार उनके इस कथन से और बेहतर समझा जा सकता है।

"बिहार में सबसे अधिक आवश्यकता है सुशासन की, एक ऐसी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की जो जाति, उपजाति, पंथ आदि के नाम पर विभाजकता को प्रमुखता न देकर धीमी पड़ी विकास प्रक्रिया में तेजी लाने पर ध्यान दें। केन्द्र सरकार को भी विशेष व्यवस्था द्वारा सहयोग देना होगा, ताकि आने वाले वर्षों में होने वाला विकास पूरे देश में समानता लाये और आम मानस के लिए न्यायसंगत और उचित हो। पुराने बिहार के गौरव का मूल कारण यह था कि हर क्षेत्र में जैसे राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, कला और संस्कृति इत्यादि में श्रेष्ठता और नूतनता को प्राथमिकता दी गई। आज के बिहार को भी इन्हीं रास्तों पर चलना होगा। शायद तब बिहार आने वाले वर्षों में भारत में अपना उचित स्थान बना सकेगा और अपना खोया हुआ वैभव, गौरव, कीर्ति एवं यश प्राप्त कर सकेगा।"

भले ही डॉ. जगन्नाथ मिश्र तीन बार बिहार के मुख्यमंत्री बने लेकिन तीनों कार्यकाल मिलाकर 15 साल नहीं बल्कि सिर्फ 5½ साल ही थे। उम्मीद है आप मेरी कोशिश को सार्थक करने में सहयोग देते रहेंगे।

नीतीश मिश्रा

पूर्व मंत्री, बिहार सरकार

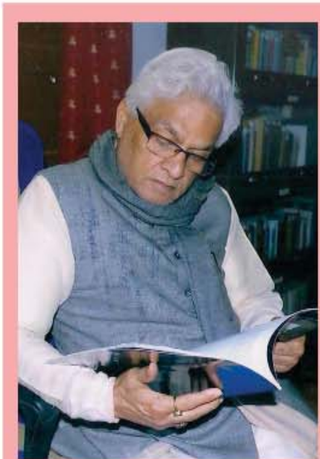

बिहार में शिक्षा का सुनहरा दौर था डॉ. मिश्र का कार्यकाल

54000 प्राथमिक, 3000 माध्यमिक, 429 संस्कृत विद्यालयों का राजकीयकरण, 235 महाविद्यालयों, 39 संस्कृत महाविद्यालयों का अंगीभूतिकरण 1600 संस्कृत विद्यालय, 1100 मदरसों का वित्तसहित मान्यता। संस्कृत और मदरसा शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के समान वेतन और सुविधाएं।

बिहार में शिक्षा, भाषा के विकास का सुनहरा दौर

- संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्थापना।
- 3880 निरीक्षित एवं संस्कृत बोर्ड, स्वीकृत विद्यालयों को मान्यता।
- मैथिली, मगही, भोजपुरी, संस्कृत, बांग्ला, पंजाबी, छोटानागपुर की जनभाषाओं, दक्षिण भारतीय भाषाओं के लिए अलग–अलग अकादमी।
- आरा, छपरा, दुमका, हजारीबाग में विश्वविद्यालय स्थापना का फैसला।
- पटना में मौलाना मजहरूल हक विवि। सहरसा में भारती मंडन विवि, जिसे बाद में मधेपुरा में बी एन मंडल विवि के नाम से स्थापित किया गया।
- ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा में भूमि, भवन और अपेक्षित राशि उपलब्ध कराई गई।

डॉ.जगन्नाथ मिश्र एकीकृत बिहार के मुख्यमंत्री थे, इसलिए उनकी सरकार के फैसलों को पूरे बिहार के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। डॉ. मिश्र हर भाषा की तरक्की और विकास के पक्षधर रहे हैं। डॉ. मिश्र की सरकार के दौरान संस्कृत शिक्षा बोर्ड की भी स्थापना की गई। साथ ही संस्कृत, मैथिली, मगही, भोजपुरी, बांग्ला, पंजाबी, छोटानागपुर की जनभाषाओं और दक्षिण भारतीय भाषाओं के लिए भी अलग–अलग अकादमियों की स्थापना की गई ताकि शोध और प्रसार को बढ़ावा मिल सके। उनके कार्यकाल में 3880 निरीक्षित एवं संस्कृत बोर्ड और स्वीकृत विद्यालयों को मान्यता दी गई। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को यूजीसी की मान्यता के लिए भूमि, भवन और अपेक्षित राशि मुहैया कराई गई। डॉ. मिश्र के कार्यकाल में ही आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय, दुमका में सिद्धूकान्हू विश्वविद्यालय, हजारीबाग में आचार्य बिनोवा भावे विश्वविद्यालय, पटना में मौलाना मजहरुल हक़ विश्वविद्यालय और सहरसा में भारती मंडन विश्वविद्यालय की स्थापना का फैसला लिया गया। बाद में जनता दल सरकार ने सहरसा के बदले मधेपुरा में इसे स्थापित कर बी एन मंडल विश्वविद्यालय का नाम दिया।

बिहार में शिक्षा सुधार के लिए डॉ. मिश्र ने की थी कई नई पहल

डॉ. मिश्र ने अपनी सरकार के कार्यकाल में बिहार में शिक्षा सुधार की दिशा में कई नई शुरुआत की। विश्वविद्यालय शिक्षा से अलग कर इंटरमीडिएट कौंसिल की स्थापना उन्होंने ही की थी। बिहार में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए उन्होंने कदाचार पर रोक लगाने के लिए खासतौर पर अधिनियम बनाया था। बाद की सरकारों के दौरान इस अधिनियम के प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका नतीजा ये है कि बिहार की परीक्षाओं में कदाचार अनियंत्रित स्तर तक बढ़ गया और राज्य की छवि ख़राब हुई। कुछ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आरक्षण का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा कि शिक्षण संस्थानों में नियुक्ति के लिए पहली बार दलितों, आदिवासियों के लिए आरक्षण डॉ. मिश्र ने ही सुनिश्चित कराया था। इतना ही नहीं सभी विभागों में आरक्षण सुनिश्चित कराने के लिए उन्होंने आरक्षण आयुक्त पद का सृजन भी किया। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाने वाली परीक्षाओं में उन्होंने सभी बेरोजगारों के लिए परीक्षा शुल्क लेने की व्यवस्था ही समाप्त करा दी।

- शिक्षण संस्थानों में नियुक्ति के लिए देश में पहल बार दलितों, आदिवासियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित कराया।
- सभी विभागों में आरक्षण सुनिश्चित कराने के लिए आरक्षण आयुक्त का पद बनाया। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सभी बेरोजगारों से फीस लेने की व्यवस्था समाप्त की।
- विश्वविद्यालय शिक्षा में इंटरमीडिएट शिक्षा को अलग कर इंटरमीडिएट कौंसिल की स्थ्थापना।
- परीक्षा में कादाचार रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया।

शिक्षकों को केंद्रीय वेतनमान, अल्पसंख्यक के विकास पर जोर

डॉ. मिश्र का मानना था कि शिक्षकों को बिना पर्याप्त सुविधा मुहैया कराए शिक्षा का समुचित विकास संभव नहीं है। इसी सोच को सामने रखकर उन्होंने बिहार के शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों और विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए यूजीसी वेतनमान और सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय वेतनमान लागू करने संबंधी नीति निर्धारण कराया। डॉ. मिश्र ने अल्पसंख्यकों को मुख्यधारा में लाने और उनके विकास के लिए उर्दू और मदरसों को मान्यता दिलाई तो साथ ही हजारों उर्दू अनुवादकों, एक हजार से ज्यादा उर्दू टंककों की नियुक्ति भी की गई। कार्यालयों में पहली बार उर्दू टंकण यंत्रों की आपूर्ति कराई गई। डॉ. मिश्र की सरकार ने ये निर्णय लिया था कि माध्यमिक स्तर तक सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकें बिहार टेक्स्टबुक कारपोरेशन से छपाई जाए। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि उनका तीन बार का कुल कार्यकाल सिर्फ 5 साल ही था और बाद की सरकारों ने इस निर्णय को पूरा नहीं किया।

बिहार में उर्दू और मदरसा के विकास में ऐतिहासिक योगदान

उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा, मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना।
2995 मदरसों को मान्यता, हर वर्ष 3000 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति
सभी माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों की अनिवार्य नियुक्ति
मदरसा शिक्षा बोर्ड की डिग्री को अन्य बोर्ड की समकक्ष मान्यता।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने राज्य में उर्दू और मदरसों के विकास के लिए जितने काम किए, किसी भी दूसरी सरकार ने आजतक नहीं किए। जो लोग डॉ. मिश्र की उपलब्धियों पर सवाल उठाते हैं, उन्हें शायद ये भी नहीं पता होगा कि उनकी अपनी सरकार और पार्टी में उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा बनाने के फैसले पर भारी नाराज़गी थी। ये डॉ. मिश्र की प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता थी कि उन्होंने उर्दू और मदरसों के विकास को न सिर्फ शिक्षा बल्कि अल्पसंख्यक विकास से जोड़कर देखा। डॉ. मिश्र ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में मदरसा बोर्ड की स्थापना की और 2995 मदरसों को मान्यता दिलाई। डॉ. मिश्र ने हर साल 3000 उर्दू शिक्षकों की बहाली का प्रावधान किया था। सभी माध्यमिक स्कूलों में उर्दू शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य की गई थी। उर्दू शिक्षकों और मान्यता प्राप्त मदरसों के शिक्षकों को दूसरे शिक्षकों की तरह ही सरकारी सुविधाएं सुनिश्चित कराई गई। मदरसों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को आगे की पढ़ाई और नौकरियों में किसी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए डॉ. मिश्र ने मदरसा बोर्ड के प्रमाणपत्रों और डिग्रियों को अन्य शिक्षा बोर्ड के समकक्ष मान्यता दिलाई।

संवेदना और दूरदर्शिता के साथ बिहार में शिक्षा विकास के कदम

- प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए पोषाहार की व्यवस्था। 197 प्रखंडों में 100 कार्यदिनों तक 6 से 11 साल तक के बच्चों को 50 ग्राम अंकुरित चना या मूंगफली देने की व्यवसथा।
- प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय, मदरसा, संस्कृत विद्यालयों के छात्रों को 31000 छात्रावृत्तियां सालाना मिलती थीं, इसे दोगुनी की गई। 1981–82 में छात्रवृत्ति की राशि में 20 फीसदी वृद्धि की गई प्रारंभिक विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान को प्राथमिकता, 400 गांवों में उपग्रह–दूरदर्शन द्वारा शिक्षाज्ञान, निःशुल्क पुस्तक वितरण के कदम उठाए गए।
- राज्य और देश की आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए पटना में ललित नारायण मिश्र इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एवं सोशल चेंज की स्थापना की गई।

डॉ. मिश्र ने बिहार में प्राथमिक विद्यालयों के 6 साल से 11 साल तक के बच्चों के लिए पोषाहार की व्यवस्था की थी। इसके तहत सौ कार्यदिवसों के दौरान 197 प्रखंडों के विद्यालयों के बच्चों को 50 ग्राम अंकुरित चना या मूंगफली वितरित की जाती थी। छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या को उन्होंने दोगुना कर दिया था और बाद में इसमें 20 फीसदी की वृद्धि भी की गई थी। बिहार के छात्र गणित और विज्ञान में देश भर के छात्रों से अव्वल माने जाते हैं, डॉ. मिश्र ने उसी वक्त अपनी दूरदर्शिता से प्रारंभिक विद्यालयों से ही इन दोनों विषयों की शिक्षा को प्राथमिकता दिलाने की नीति अपनाई। उस वक्त टेलीविज़न पर सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था और टेलीविज़न सेट्स भी हर जगह उपलब्ध नहीं होते थे। डॉ. मिश्र ने 400 गांवों में दूरदर्शन के जरिये उपग्रह शिक्षा से छात्रों को सुविधासंपन्न बनाने के कदम उठाए। बिहार के छात्र राज्य और देश की आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन कर सकें, इसलिए उन्होंने पटना में ललित नारायण मिश्र इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज की स्थापना की। आज से 40 वर्ष पूर्व मैनेजमेंट की पढ़ाई की कल्पना करना उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है।

शिक्षित बेरोजगारों के नियोजन, वित्तीय मदद के कदम

आज देश में और खासकर बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। बिहार की राज्य सरकारें रोजगार सृजन के क्षेत्र में उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही है, हालांकि दो साल से केंद्र में बनी नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं खासकर कौशल विकास योजना और मेक इन इंडिया से तस्वीर बदलने की बड़ी उम्मीद बंधी है। आपको बताना चाहता हूं कि डॉ. मिश्र ने शिक्षित बेरोजगारों को निजी रोजगार के अवसर दिलाने और नौकरी न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने के कदम उसी दौर में उठाए थे। राष्ट्रीयकृत बैंकों से तब स्वरोजगार के लिए 25 हजार रुपये अनुमान्य थे, डॉ. मिश्र ने इसके साथ 1 से 5 हजार रुपये तक के अनुदान की व्यवस्था कराई। बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 10–15 फीसदी तक सीड मनी के रूप में सरकारी सहायता मुहैया कराई। पूरे बिहार में अनियोजन सांकेतिक भत्ता 1 अक्टूबर 1981 में उन्हीं की सरकार ने लागू कराया। 1980–81 तक राज्य के 2 लाख लोगों को 50 रुपये प्रति माह ये भत्ता मिलता था, जिसे डॉ. मिश्र सरकार ने 3 लाख लोगों तक पहुंचाया और भत्ते की राशि 50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिमाह किया। 1980–81 के दौर में 3 लाख लोगों को 100 रुपये भत्ता पर्याप्त राशि मानी जाती थी और इसीलिए उस वक्त उनके इस फैसले को बड़ी संख्या में लोगों ने सराहा था।

- निजी रोजगार के अधिक मौके दिलाने के कारगर कदम उठाए। राष्ट्रीय बैंकों से अनुमान्य 25 हजार रुपये कर्ज के साथ 1 हजार से 5 हजार का विशेष अनुदान दिलाया।
- बैंकों, वित्तीय संस्थानों से 10–15 फीसदी तक सीड मनी के रूप में सरकारी सहायता उपलब्ध कराई।
- 1 अक्टूबर 1981 को पूरे बिहार में शिक्षित बेरोजगारों को अनियोजन सांकेतिक भत्ता योजना लागू किया।
- 1980–81 से 2 लाख शिक्षित बेरोजगारों को मिलने वाले सांकेतिक भत्ता को 50 रुपये प्रमिाह से बढ़ाकर 100 रुपये किया और 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख बेरोजगारों को मदद पहुंचाई।

बिहार में विकास का पुल बनाने में बड़ा योगदान

- पुल निर्माण निगम की स्थापना।
- लोक निर्माण विभाग को विभाजित कर अप्रैल 1982 से अलग पथ निर्माण विभाग का सृजन।
- आधुनिक बिहार की कड़ी उपलब्धि महात्मा गांधी सेतु के निर्माण हेतु राज्य योजना के अन्तर्गत विशेष धन आवंटित कर निर्माण पूरा कराया। पुल को दो लेन से चार लेन में परिवर्तित कराने का निर्णय लिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 2 मई 1982 को उद्घाटन किया।

डॉ. मिश्र ने अपने सिर्फ 5 साल के कार्यकाल में एकीकृत बिहार के सर्वांगीण विकास के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ काम किया और काम कभी नहीं छिपता। पटना–हाजीपुर महात्मा गांधी सेतु के बारे में आप हर दिन ख़बर पढ़ते और सुनते हैं। इस पुल की जर्जर स्थिति के कारण कितनी परेशानी हो रही है, ये भी जानते हैं। अंदाजा लगाइए कि जब ये पुल नहीं था, तब कितनी दिक्कत होती होगी और पूरे बिहार में जब पुलों की संख्या न के बराबर थी, तब क्या हाल होता होगा? डॉ. मिश्र ने इसे सबसे पहले और सबसे ज्यादा महसूस किया और बिहार में 11 जून 1975 को पुल निर्माण निगम की स्थापना की गई। अप्रैल 1982 से लोक निर्माण विभाग को विभाजित कर अलग पथ निर्माण विभाग बनाया। 1970 में प्रारंभ गंगा सेतु के निर्माण हेतु राज्य योजना के अंतर्गत विशेष धन आवंटित कर पुल निर्माण कार्य पूरा कराया। 2 मई 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उदघाटन किया था। पुल को दो लेन से चार लेन में परिवर्तित किया गया और आप सभी जानते हैं कि ये आधुनिक बिहार की कितनी बड़ी उपलब्धि है। आज जितने भी पुल का निर्माण बिहार सरकार के द्वारा हो रहा है वह पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र के कार्यकाल में स्थापित पुल निर्माण निगम के माध्यम से ही कराया जा रहा है। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसी गांधी सेतु के जीर्णोद्धार के लिए 1742 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है और इसका काम शुरू हो चुका है।

बिहार के विकास में पुलों, सड़कों के निर्माण को दी रफ्तार

- 11 नवंबर 1981 को डाल्टेनगंज के नजदीक उत्तर कोयल नदी पुल निर्माण पूरा, यातायत के लिए खोला।
- डुमरी घाट पर पीपा पुल, रांची–चाईबासा पथ पर रेल का उपरी पुल, दामोदर, सिकरहना और दक्षिणी कोयल नदियों पर उच्चस्तरीय पुल, समस्तीपुर व बेगुसराय रेल पुल और बक्सर के गंगा पुल निर्माण की दिशा में संतोषजनक प्रग्रति।
- 590 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय उच्च पथों को चौड़ा और मजबूत करने का निर्णय।
- आर–बक्सर, सोनपुर–छपरा, सीवान–गुठनी, पूर्णिया–मुरलीगंज, सहरसा एवं महेशखूट, मनसलवा–सोनबरसा राजपथ विस्तृत और सुदृढ़ किए गए।

सड़क और पुल किसी भी राज्य के विकास की बुनियादी ज़रूरतें हैं साथ ही जनता की सुविधा के अहम साधन भी हैं। इन कदमों का नतीजा ये हुआ कि सड़क और पुल दोनों क्षेत्रों में काफी काम हुए। 11 नवंबर 1981 को डाल्टेनगंज के नजदीक उत्तर कोयल नदी पुल निर्माण पूरा कर यातायात के लिए खोल दिया गया। डुमरी घाट पर पीपा पुल, रांची–चाईबासा पथ पर रेल का ऊपरी पुल, दामोदर, सिकरहना और दक्षिणी कोयल नदियों पर उच्चस्तरीय पुल, समस्तीपुर व बेगूसराय रेल पुल और बक्सर के गंगा पुल निर्माण की दिशा में संतोषजनक प्रगति हुई। डॉ. मिश्र के मात्र 5 साल के कार्यकाल के दौरान 590 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय उच्च पथों को चौड़ा और मजबूत करने का निर्णय लिया गया था। इसी दौरान आरा–बक्सर, सोनपुर–छपरा, सीवान–गुठनी, पूर्णिया–मुरलीगंज, सहरसा एवं महेशखूट, पनसलवा–सोनबरसा राजपथ विस्तृत और सुदृढ़ किए गए।

बिहार के औद्योगिक विकास की दूरदर्शी सोच

- नवंबर 1980 मे व्यापक औद्योगिक नीति की घोषणा की।
- पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, रांची, बोकारो, आदित्यपुर विकास प्राधिकारों की स्थापना, 37 औद्योगिक प्रांगणों की स्थापना की गई।
- पंडौल, सीवान, रांची एवं भागलपुर में सूत मिलों की स्थापना की गई।
- मधुबनी जिले के पंडौल में 300 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास हुआ।
- उद्योगों के लिए आधारभूत आवश्यकताओं तथा जमीन, जल, बिजली की उपलब्धि के संबंध में एक ही स्तर पर निर्णय और पूर्ण आवेदनों पर 15 दिन के भीतर फैसले की व्यवस्था की गई।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र के 3 बार के मुख्यमंत्रित्व के कुल 5 वर्षों में राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण नीति निर्धारण हुए, महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और उपलब्धियां भी हासिल की गईं। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है कि कैसे उन्होंने बिहार पुल निर्माण निगम की स्थापना कर विकास के सेतु बनवाए। लोक निर्माण विभाग को विभाजित कर अलग पथ निर्माण विभाग बनाने से कैसे सड़कों के निर्माण में तेज़ी आई, इनपर बात हो चुकी है और आपकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। आज आप देखते हैं कि बिहार में औद्योगिक निवेश ठप है, पहले के लघु एवं कुटीर उद्योग मृतप्राय हैं। ये स्थिति डॉ. मिश्र के बाद राज्य में बनी सरकारों की अदूरदर्शिता का नतीजा है। डॉ. मिश्र ने इसी स्थिति को रोकने के लिए नवंबर 1980 में ही एक व्यापक औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। पटना, मुज़फ्फरपुर, दरभंगा, रांची, बोकारो, आदित्यपुर विकास प्राधिकारों और 37 औद्योगिक प्रांगणों की स्थापना की गई। पंडौल, सीवान, रांची एवं भागलपुर में सूत मिलों की स्थापना की गई। मधुबनी ज़िले के पंडौल में 300 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास हुआ। उद्योगों के लिए आधारभूत आवश्यकताओं तथा ज़मीन, जल, बिजली की उपलब्धि के संबंध में एक ही स्तर पर निर्णय लिए जाने की व्यवस्था की गई। सभी पूर्ण आवेदनों पर 15 दिन के भीतर निर्णय की व्यवस्था की गई।

बिहार के औद्योगिक विकास के दूरदर्शी प्रयास

- बिहार में दुग्ध उत्पादन केंद्र और दूध डेयरी प्रतिष्ठान की स्थापना, बाद में सुधा डेयरी के नाम से विख्यात।
- श्वेत क्रांति के जनक डॉ. वर्गीज कुरियन को गुजरात से आमंत्रित कर उनसे योजना का प्रारूप और मार्गदर्शन प्राप्त करके कार्य प्रारंभ कराया गया।
- ट्रांसफर ऑफ स्टाक के नाम पर बिक्री कर से वंचित बिहार की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से कनसाइनमेंट टैक्स लगाने का अधिकार मांगा गया।
- 1981 में खनिज संपदा के मूल्य के आधार पर ही सेस लगाने का अधिनियम पारित। बिहार की आमदनी 30 करोड़ से बढ़कर 500–600 करोड़ रुपये होने लगी।

बिहार की सुधा डेयरी आज न सिर्फ बिहार की एक तरह से पहचान बन चुकी है, बल्कि इसके उत्पादों की चर्चा बिहार से बाहर भी होने लगी है। मैं यह बताना चाहूंगा कि बिहार की सुधा डेयरी की स्थापना डॉ. मिश्र के कार्यकाल में ही हुयी थी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉ. वर्गीज़ कुरियन को गुजरात से आमंत्रित कर उनसे योजना का प्रारूप और मार्गदर्शन प्राप्त किया गया और फिर कार्य प्रारंभ कराया गया। बिहार में दुग्ध उत्पादन केंद्र और दूध डेयरी प्रतिष्ठान की स्थापना 1983 में की गई, जो आगे चलकर सुधा डेयरी के नाम से विख्यात हुई।

बिहार के औद्योगिक उत्पाद जो अन्य राज्यों को भेजे जाते थे, उन उत्पादों से बिहार को ट्रांसफर ऑफ स्टाक के नाम पर बिक्री कर से वंचित होना पड़ता है। बिहार को इसके कारण हो रहे नुकसान को देखते हुए डॉ. मिश्र ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि राज्य सरकार को कनसाइनमेंट टैक्स लगाने का अधिकार दिया जाए। डॉ. मिश्र की सरकार के दौरान 1981 में खनिज संपदा के मूल्य के आधार पर ही सेस लगाने का अधिनियम पारित किया गया, जिससे बिहार की आमदनी (खनिज सम्पदा से) बढ़कर 30 करोड़ से 500–600 करोड़ रुपये होने लगी। सिर्फ 5 साल के दौरान औद्योगिक विकास के लिए डॉ. मिश्र की सरकार के इस तरह के विकासवादी कदमों से एकीकृत बिहार के स्वावलंबी बनने और रोजगार मुहैया कराने की दिशा में तेज़ी से प्रगति हुई।

बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में किए गए व्यापक सुधार

- पटना में 80 करोड़ रुपये की लागत से इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) का 12 फरवरी 1983 को तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति से शिलान्यास।
- पटना के पीएमसीएच में इंदिरा गांधी हृदयरोग संस्थान की स्थापना।
- ग्रामीणों क्षेत्रों में 150 रेफरल अस्पतालों की स्थापना, 1983 में 650 उप केंद्र स्वीकृत। 76 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 50 उप स्वास्थ्य केंद्रो की स्थापना का निर्णय।
- 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 30 बेड का एक रेफरल अस्पताल खोलने की योजना पर काम शुरू किया गया।
- सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक का निर्णय।

बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जन सरोकार की सबसे बुनियादी ज़रूरतों में से एक है। बिहार जैसे राज्य में, जहां गरीबी ज्यादा है, प्रति व्यक्ति आय काफी कम है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर स्वाभाविक रूप से ज्यादा निर्भरता है। पटना में 80 करोड़ रुपये की लागत से इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) का शिलान्यास 12 फरवरी 1983 में तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति से कराया। पटना के पीएमसीएच में ही इंदिरा गांधी हृदयरोग संस्थान की स्थापना भी डॉ. मिश्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एकीकृत बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 150 रेफरल अस्पतालों की स्थापना की गई। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत लक्ष्य के अनुरूप 1983 में 650 उप केंद्र स्वीकृत किए गए। 76 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना का निर्णय लिया गया। 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 30 बेड का एक रेफरल अस्पताल खोलने की योजना पर काम शुरू किया गया। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर पाबंदी का फैसला भी डॉ. मिश्र के कार्यकाल में ही लिया गया।

चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा सुधार में बड़ा योगदान

- श्रीकृष्ण सिंह मेडिकल कॉलज मुजफ्फरपुर, अनुग्रह नारायण चिकित्सा महाविद्यालय गया, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय पटना का अधिग्रहण कर सरकारीकरण।
- 1981 में ही आबीटीएस होम्योपैथिक कॉलेज मुजफ्फरपुर का सरकारीकरण।
- चिकित्सा विशेषज्ञों की वृद्धि, 331 अतिरिक्त बेड, 10 हजार आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र।
- ग्रामीण क्षेत्र में यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक औषधालयों की स्थापना योजना पर काम।
- पटना के कंकड़बाग में विकलांग भवन अस्पताल स्थापना, इस अस्पताल में व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए वर्कशाप की स्थापना हेतु प्रथम चरण में 15 लाख रुपये तक की योजना स्वीकृति का निर्णय।
- रोगी के लिए सहायता राशि, एक अटेंडेंट के लिए भी 1 रुपये रोजाना का प्रावधान।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने स्वास्थ्य सेवाओं के साथ–साथ चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी निर्णायक फैसले लिए और उपलब्धियां हासिल की। डॉ. मिश्र ने अपने सिर्फ 5 साल के कार्यकाल के दौरान मुज़फ्फरपुर के श्रीकृष्ण सिंह मेडिकल कॉलेज, गया के अनुग्रह नारायण चिकित्सा महाविद्यालय के अलावा पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद और नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना का अधिग्रहण कराके उनका सरकारीकरण कराया। इससे बिहार के छात्रों को जहां चिकित्सा शिक्षा की सुविधा मिली, वहीं इन कॉलेजों के अस्पतालों से मरीजों को भी बेहतर इलाज की सुविधा मिली। 1981 में ही मुज़फ्फरपुर के आरबीटीएस होम्योपैथिक कॉलेज का भी सरकारीकरण किया गया। डॉ. मिश्र का मानना था कि सिर्फ अंग्रेजी चिकित्सा ही नहीं, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी चिकित्सा पद्धतियों का भी विकास और विस्तार होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र में भी कदम उठाए। उनकी सरकार ने चिकित्सा विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाई, अस्पतालों में 331 अतिरिक्त बेड की सुविधा बढ़ाई। इसके अलावा हर 10 हजार की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थापना का निर्णय लिया गया। संवेदना के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की सोच के साथ उन्होंने पटना के कंकड़बाग में विकलांग भवन अस्पताल की स्थापना कराई, वहां व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वर्कशॉप की भी व्यवस्था की। इस वर्कशॉप के लिए प्रथम चरण में ही 15 लाख रुपये तक की योजना स्वीकृत करने का निर्णय लिया। उन्होंने न सिर्फ रोगी, बल्कि एक अटेंडेंट के लिए भी 1 रुपए रोजाना मदद राशि की संवेदनशील व्यवस्था कराई।

बिहार में कृषि विकास के लिए संवेदनशील प्रयास

- उन्नत बीज को बढ़ावा के लिए पहली बार प्रति क्विंटल प्रमाणित बीज के क्रय पर 40–45 करोड़ का अनुदान किसानों के लिए स्वीकृत। वाणिज्य कर और बाजार शुल्क भी माफ।
- समतल क्षेत्र में 2.5 एकड़ और छोटानागपुर व संथाल परगना में 5 एकड़ जोत के लिए 1980 तक का बकाया तकावी ऋण पूर्ण रूप से माफ।
- कृषि में संलग्न मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने के लिए हर प्रखंड में एक–एक श्रम निरीक्षक के पदस्थापन के लिए अतिरिक्त 391 पदों का सृजन।

बिहार में कृषि और किसानों के विकास के क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र सरकार की नीतियों, महत्वपूर्ण फैसलों और उपलब्धियों को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आज के दौर में हर कोई जानता है कि उन्नत बीजों के इस्तेमाल से कृषि पैदावार में वृद्धि होती है, लेकिन डॉ. मिश्र ने आज से 30–40 साल पहले ही इसे न सिर्फ समझा बल्कि अमल में भी लाकर किसानों को फायदा पहुंचाया। उन्नत बीज को बढ़ावा के लिए पहली बार प्रति क्विंटल प्रमाणित बीज की खरीद पर 40 से 45 करोड़ रुपये तक का अनुदान उन्होंने किसानों के व्यापक हित में स्वीकृत कराए साथ ही इस पर वाणिज्य कर और बाजार शुल्क भी माफ किया। किसानों को एक और बड़ी राहत देते हुए उनकी सरकार ने समतल क्षेत्र में 2.5 एकड़ जोत और छोटानागपुर व संथाल परगना में 5 एकड़ जोत तक के लिए साल 1980 तक का तमाम बकाया तकावी ऋण पूर्ण रूप से माफ कर दिया। कृषि क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को उनकी मेहनत की तुलना में काफी कम मजदूरी मिलती थी, इसे संज्ञान में लाते हुए डॉ. मिश्र ने संवेदनशील फैसला लिया और हर प्रखंड में एक–एक श्रम निरीक्षक के पदस्थापन के लिए अतिरिक्त 391 पदों का सृजन किया। इन कदमों से न सिर्फ किसानों बल्कि कृषि मजदूरों की स्थिति भी पूर्व की तुलना में सुधरी।

किसानों के हितों को प्राथमिकता, संवेदनशीलता का युग

- कोसी, गंडक, किउल, सोना, बडुआ विकास प्राधिकार का गठन।
- निजी नलकूप लगाने के लिए अनुदान, 2.5 लाख निजी नलकूप लगे।
- 4 हजार से ज्यादा राजकीय नलकूप लगवाए गए।
- हर श्रेणी के किसानों के लिए सिंचाई कर की व्यवस्था समाप्त, सिंचाई कर की बकाया राशि सामूहिक रूप से माफ।
- 10 एकड़ के जोतदारों के लिए बिजली शुल्क माफ।

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि ही राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। दूसरी ओर, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है कि किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय है और मौजूदा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में न तो कृषि क्षेत्र है और न ही कोई कृषि विकास का कोई रोड मैप। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कृषि और किसानों के हितों को सबसे आगे रखा और संवेदनशीलता के साथ कदम उठाए। कोसी, गंडक, किउल, सोन, बडुआ विकास प्राधिकार का गठन किया। सिंचाई साधनों की उपलब्धता पर उनका विशेष ज़ोर रहा और 4 हजार से ज्यादा राजकीय नलकूप लगवाए गए। उन्होंने निजी नलकूपों के लिए उदारतापूर्वक अनुदान सुनिश्चित कराया, जिसके कारण राज्य में 2.5 लाख निजी नलकूप लगाए जा सके। बिहार में पूर्व की सरकारों के वक्त से चली आ रहे सिंचाई कर को उनके कार्यकाल में समाप्त कर दिया गया और इसका लाभ हर श्रेणी के किसानों को समान रूप से दिया गया। जिन किसानों पर सिंचाई कर बकाया था, उन बकाया राशि को सामूहिक रूप से माफ कर दिया गया। किसानों को एक और बड़ी सुविधा के तहत डॉ. मिश्र की सरकार ने 10 एकड़ तक के जोतदारों के लिए बिजली शुल्क भी माफ कर दिया। इन संवेदनशील कदमों के जरिये डॉ. मिश्र के कार्यकाल में बिहार के किसानों की हालत में सुधार आया, जो उनके बाद की सरकारों की अदूरदर्शी नीतियों और असंवेदनशील फैसलों के कारण लगातार बिगड़ती चली गई।

दूरदर्शिता के साथ बिहार के कृषि विकास में योगदान

- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में बिहार के सभी 727 प्रखंडों को सुनिश्चित रोजगार योजना और 5 लाख आवास निर्माण का प्रत्येक वर्ष इंदिरा आवास योजना के तहत प्रावधान कराया।
- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में भूमि अधिग्रहण की व्यापक नीति और कृषि नीति का उपास्थापन हुआ।
- जनवरी 1996 में केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में बिहार के सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों एवं 16 कृषि संबंधी विषयों पर शोध प्रतिष्ठानों की स्वीकृति दिलाई।

लोकतांत्रिक सरकार का मतलब जनकल्याणकारी यानी जन सरोकार को प्राथमिकता देने वाली सरकार होता है। आज देश में और खासकर बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। बिहार की राज्य सरकारें रोजगार सृजन के क्षेत्र में उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही है, हालांकि दो साल से केंद्र में बनी नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं खासकर कौशल विकास योजना और मेक इन इंडिया से तस्वीर बदलने की बड़ी उम्मीद बंदी है। आपको बताना चाहता हूं कि डॉ. मिश्र ने शिक्षित बेरोजगारों को निजी रोजगार के अवसर दिलाने और नौकरी न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने के कदम उसी दौर में उठाए थे। राष्ट्रीयकृत बैंकों से तब स्वरोजगार के लिए 25 हजार रुपये अनुमान्य थे, डॉ. मिश्र ने इसके साथ 1 से 5 हजार रुपये तक के अनुदान की व्यवस्था कराई। बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 10–15 फीसदी तक सीड मनी के रूप में सरकारी सहायता मुहैया कराई। पूरे बिहार में अनियोजन सांकेतिक भत्ता 1 अक्टूबर 1981 में उन्हीं की सरकार ने लागू कराया। 1980–81 तक राज्य के 2 लाख लोगों को 50 रुपये प्रति माह ये भत्ता मिलता था, जिसे डॉ. मिश्र सरकार ने 3 लाख लोगों तक पहुंचाया और भत्ते की राशि 50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिमाह किया। 1980–81 के दौर में 3 लाख लोगों को 100 रुपये भत्ता पर्याप्त राशि मानी जाती थी और इसीलिए उस वक्त उनके इस फैसले को बड़ी संख्या में लोगों ने सराहा था।

बिहार में बिजली क्षेत्र में 5 साल में बड़ी उपलब्धियां

- कांटी बिजली क्षेत्र की स्थापना की बुनियाद रखी, 110–110 मेगावाट की 2 इकाइयां चालू।
- बरौनी और पतरातू में बिजली प्रतिस्थापन केंद्र का विस्तारीकरण, 110–110 मेगावाट क्षमता की 4 इकाइयां, बरौनी में छठी और सातवीं भट्ठी जलाई गई।
- तेनूघाट में 210 मेगावाट की 2 इकाइयां चालू, 1982–83 में बिजली का अभूतपूर्व उत्पादन।
- भागलपुर के कहलगांव में भारत सरकार ने केंद्रीय प्रक्षेत्र में 1000 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर स्टेशन को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया।
- 1982 में बिहार स्टेट हाइड्रो–इलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन (पनबिजली निगम) की स्थापना।

बिहार में बिजली लगातार एक बड़ी समस्या बनी रही है। अब पिछले 2 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युत योजना के तहत बिहार के गांवों में भी बिजली पहुंचाने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। राजद और जदयू के शासन के दौरान बिजली उत्पादन के मामले में बिहार देश के सर्वाधिक पिछड़े राज्यों में शामिल रहा, जबकि केंद्र में 10 साल तक यूपीए की सरकार रही और पहले राजद, फिर जदयू कांग्रेस के गठबंधन में शामिल रहे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने अपने 5 साल के कार्यकाल में बिहार में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं और 1982–83 में जितनी बिजली का उत्पादन किया गया, उतना न पहले हुआ था और न ही बाद के वर्षों में ही हो सका। मुज़फ्फरपुर के कांटी में बिजली केंद्र की स्थापना की बुनियाद रखी, जिससे 110–110 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयां उनके कार्यकाल में चालू हुईं। बरौनी और पतरातू बिजली प्रतिस्थापन केंद्रों का विस्तारीकरण हुआ और यहां 110–110 मेगावाट क्षमता की 4 इकाइयां शुरू की गईं। तेनूघाट में 210 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयां चालू हुईं। भागलपुर के पास कहलगांव में केंद्रीय प्रक्षेत्र में 1000 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना का सैद्धांतिक निर्णय भी उन्हीं के प्रयासों का नतीजा था। डॉ. मिश्र बिहार के विकास में बिजली जैसी बुनियादी ज़रूरत को लेकर हमेशा सजग रहे और इसी काम में तेज़ी लाने के लिए उन्होंने 1983 में बिहार हाइड्रो–इलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन (पनबिजली निगम) की स्थापना भी की।

डॉ. मिश्र का सामाजिक सुरक्षा पर था विशेष जोर

- 1980–81 में एक अभियान चलाकर 23 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाया गया।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि पहले 30 रुपये प्रतिमाह थी, इसे बढ़ाकर 60 रुपये प्रतिमाह किया गया।
- भूमिहीनों और सीमांत लघु किसानों के लिए कार्यरत दुर्घटना सहायता योजना के तहत अप्राकृतिक मौत पर अनुग्रह राशि 2 हजार से बढ़ाकर 10 हजार करने का प्रावधान किया।
- पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की गई।

सामाजिक सुरक्षा हर नागरिक के लिए काफी जरूरी है, खासकर गरीबों, वंचितों के लिए इसकी काफी अहमियत है। आज नरेंद्र मोदी सरकार 12 रुपये सालाना प्रीमियम, 330 रुपये सालाना प्रीमियम पर सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के तहत करोड़ों लोगों को सुरक्षित करा रही है। अटल पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा रहा है। आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में आज से 36 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने इस जनसरोकार को समझते हुए उस वक्त के मुताबिक इसी तरह की योजनाओं की शुरुआत की थी। 1980–81 में एक अभियान चलाकर 23 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाया गया था। सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि पहले 30 रुपये प्रतिमाह थी, डॉ. मिश्र के कार्यकाल में इसे बढ़ाकर 60 रुपये प्रतिमाह किया गया। भूमिहीनों और सीमांत लघु किसानों के लिए कार्यरत दुर्घटना सहायता योजना के तहत अप्राकृतिक मौत पर अनुग्रह राशि 2 हजार से बढ़ाकर 10 हजार करने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना भी उन्हीं के कार्यकाल में की गई।

महिला हितों पर संवेदनशीलता के साथ उठाए बड़े कदम

- विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवाओं–बच्चों के लिए मुफ्त सहायता कानून।
- 23 लाख विधवाओं और वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पेंशन की राशि 30 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रतिमाह की और त्वरित कार्यान्वयन के लिए अलग निदेशालय की स्थापना की गई।
- 35 साल तक की विधवाओं से शादी करने वाले 35 साल तक के पुरुषों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता का प्रावधान।
- गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार के लिए दो बच्चों तक के लिए 500–500 रुपये का अनुदान।

आपको बताना चाहता हूं कि बिहार की महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कई संवेदनशील कदम उठाए थे। विधवाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ावा दिया गया, पेंशन की राशि 30 रुपये से दोगुनी करके 60 रुपये प्रतिमाह की गई और एक पृथक निदेशालय की स्थापना की गई ताकि जल्दी इसका लाभ ज़रूरतमंदों को मिल सके। विधवाओं और वृद्धों में से 23 लाख लोगों को इसका लाभ मिला। डॉ. मिश्र विधवाओं का सशक्तीकरण की दूरदर्शी सोच रखते थे, उन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए ये दूरदर्शी व्यवस्था बनाई। 35 साल तक की विधवाओं या विधवाओं से विवाह करने वाले 35 साल तक के पुरुषों को सरकारी नौकरी में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाए। विधवाओं और बच्चों के लिए मुफ्त सहायता डॉ. मिश्र के संवेदनशील कदमों में से एक है। डॉ. मिश्र ने गर्भवती महिलाओं के पौष्टिक आहार के लिए उनके दो बच्चों तक 500–500 रुपये अनुदान की भी व्यवस्था की।

समाज के सबसे पिछड़े वर्गों के उत्थान का सरोकार

- अनुसूचित जाति के लिए दलित अंगीभूत योजना। आदिवासी बहुल 111 प्रखंडों में जनजाति उप–योजना। इसके तहत कुल उदव्यय का 24 प्रतिशत जनजाति उप–योजना एवं अंगीभूत योजना के लिए कर्णांकित करने का प्रावधान हुआ।
- सहकारिता के सभी निकायों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। सभी स्तरों की प्रबंध समितियों में इन समूहों के लिए स्थान आरक्षित किए गए।
- विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में पहली बार अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया।
- आरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पहली बार आरक्षण आयुक्त का पद सृजित हुआ।

समाज के सबसे पिछड़े वर्गों का विकास बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। उन्होंने अपने पांच साल के कुल कार्यकाल में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आदिवासियों के उत्थान के लिए कई अहम फैसले लिए, कदम उठाए। अनुसूचित जाति के लिए ऐसी ही योजना थी दलित अंगीभूत योजना और आदिवासी बहुल 111 प्रखंडों में जनजाति उपयोजना। इसके तहत कुल योजना उदव्यय का 24 प्रतिशत जनजाति उप–योजना एवं अंगीभूत योजना के लिए कर्णांकित करने का प्रावधान हुआ। उन्हीं की सरकार के दौरान सहकारिता के सभी निकायों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। सभी स्तरों की प्रबंध समितियों में इन समूहों के लिए स्थान आरक्षित किए गए। विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में पहली बार अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया और आरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पहली बार आरक्षण आयुक्त का पद भी बनाया गया।

जरूरतमंद तबकों के लिए सदैव संवेदनशील कदम

- अनुसूचित जाति–जनजाति के छात्रों के लिए प्रखंडों और जिला स्तर पर आवासीय विद्यालय के साथ–साथ हर प्रखंड में कम से कम 4 माध्यमिक विद्यालय और एक बालिका माध्यमिक विद्यालय की स्थापना। 150 प्रोजेक्ट हाई स्कूल खोले गए।
- आरक्षण नीति में संशोधन करके ये प्रावधान किया गया कि पिछड़े वर्गों के जो छात्र योग्यता अधिमान में आएंगे, उनकी गणना आरक्षित कोटे में नहीं होगी, इस कदम से सेवाओं में पिछड़े वर्गों की संख्या बढ़ी।
- 45000 चौकीदारों को चतुर्थ श्रेणी के सरकारी सेवकों का दर्जा और वास्तविक वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाएं दिलाई।
- रिक्शा चालकों को शोषण से मुक्त कराने के लिए विशेष अध्यादेश जारी किया, राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण सुनिश्चित कराया गया और 80,000 रिक्शा चालकों को रिक्शा का सुनिश्चित कराया।

समाज के पिछड़े तबकों का दर्द समझकर, उनकी ज़रूरतें समझकर उसके मुताबिक नीतियां बनाने और फैसले लेने में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने कभी वक्त नहीं गंवाया। सिर्फ 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने सबसे पिछड़े तबकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कई संवेदनशील कदम उठाए। उनका मानना था कि शिक्षा में पिछड़ों को सुविधाएं मिलेंगी, तभी वो सरकारी सेवाओं में भी अपने लिए जगह बना पाएंगे। इसीलिए उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रखंडों और ज़िला स्तरों पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना के कदम उठाए। हर प्रखंड में कम से कम 4 माध्यमिक स्कूल खोले और एक बालिका माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई। 150 प्रोजेक्ट हाई स्कूल खोले गए। आरक्षण नीति में संशोधन करके उन्होंने ये प्रावधान सुनिश्चित कराया कि जो छात्र सामान्य वर्ग के छात्रों के योग्यता अधिमान में आएंगे, उनकी गिनती आरक्षित कोटे में नहीं होगी। इसका फायदा ये हुआ कि आरक्षित कोटे में ज्यादा जगह बनी और आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं में बढ़ा। चौकीदारों की दशा देश में खराब थी और बिहार में तो बहुत ही खराब थी, चौकीदारों की इस स्थिति को सुधारने के लिए 1928 और 1937 में ही मुंबई विधानसभा में डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा विधेयक लाया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से ये दोनों ही बार पारित नहीं किया जा सका। बिहार में डॉ. मिश्र के कार्यकाल में इसपर विशेष ज़ोर दिया गया और 45,000 चौकीदारों को चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिलाकर उन्हें इस श्रेणी के कर्मचारियों को मिलने वाला वेतनमान, पेंशन और अन्य सुविधाएं मुहैया कराईं। एक और वर्ग रिक्शाचालकों का था, जो शोषण का शिकार था और ज्यादातर वंचित तबकों के ही लोग तब रिक्शाचालक हुआ करते थे। डॉ. मिश्र सरकार ने रिक्शा चालकों के लिए अध्यादेश लाकर, बैंकों से ऋण दिलाकर रिक्शा का स्वामित्व सुनिश्चित कराने का संवेदनशील कदम उठाया। जून 1976 में पटना से इसकी शुरुआत की गई और इसी क्रम में 80000 रिक्शा चालकों को रिक्शा का स्वामित्व सुनिश्चित कराया गया। जैसा कि मैं कहता रहता हूं कि जन सरोकार को समझने और उसके मुताबिक ही कदम उठाने वाली सरकार ही विकास और जनकल्याण के कार्य कर सकती है।

समाज के पिछड़े वर्गों के विकास के सतत प्रयास

- पंचायती राज व्यवस्था में दलित और अत्यंत पिछड़ी जातियों के मनोनयन की व्यवस्था पर उनकी सहभागिता स्थापित की गई।
- अनुसूचित जाति बहुल 111 प्रखंडों में अलग से स्वास्थ्य उप केंद्रों की स्थापना का निर्णय लिया गया।
- अनुसूचित जातियों, जनजातियों की अनुमान्य छात्रवृति की संख्या दोगुनी की गई, आवासीय विद्यालयों में भोजन, वस्त्र में अनुदान की राशि बढ़ाई। 6 से 14 साल के बच्चों को 1981 से 15 रुपये प्रतिमाह प्रेरणा भत्ता शुरू।
- पिछड़ी एवं अत्यंत पिछड़ी जातियों के छात्रों, दलितों एवं आदिवासी छात्रों को मिलने वाली छात्रवृति की राशि 4.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 13.05 करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया।
- महादलित मुशहर समाज के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में उपस्थित कराने के लिए 30 रुपये प्रतिमाह भत्ता का भुगतान करने के लिए 9 करोड़ रुपये की वार्षिक राशि का प्रावधान किया।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने समाज के सबसे वंचित, शोषित, पिछड़े वर्गों के उत्थान और कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। सिर्फ इन तबकों के हित में डॉ. मिश्र सरकार की अहम उपलब्धियों, निर्णयों को लेकर ये लगातार चौथा पोस्ट है। दलितों और अत्यंत पिछड़ी जातियों की सहभागिता पंचायती राज व्यवस्था में स्थापित करने के लिए उन्होंने इनके मनोनयन की व्यवस्था की। जिन 111 प्रखंडों में अनुसूचित जाति की संख्या ज्यादा थी, वहां अलग से स्वास्थ्य उप केंद्रों की स्थापना का निर्णय लिया गया। अनुसूचित जातियों, जनजातियों के बच्चों की अनुमान्य छात्रवृत्ति की संख्या दोगुनी की गई और आवासीय विद्यालयों में भोजन और कपड़े की अनुदान राशि बढ़ाई गई। छह से 14 साल के बच्चे स्कूल जाएं, इसके लिए साल 1981 से 15 रुपये प्रति माह प्रेरणा भत्ता शुरू की गई। पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जातियों, दलितों और आदिवासी छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि साढे चार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 13 करोड़ रुपये से भी ज्यादा किया गया। महादलित मुशहर समाज के बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहन के लिए 30 रुपये प्रति माह का भुगतान नियमित रूप से होता रहे, इसके लिए 9 करोड़ रुपये की वार्षिक राशि का प्रावधान किया गया। डॉ. मिश्र सरकार के इन कदमों के कारण दलितों–पिछड़ों–अत्यंत पिछड़ों में शिक्षा को लेकर जागरुकता बढ़ी और इन वर्गों के विकास की मजबूत बुनियाद रखी गई।

बेसहारों का सहारा बनी सरकार, शोषण से दिलाई मुक्ति

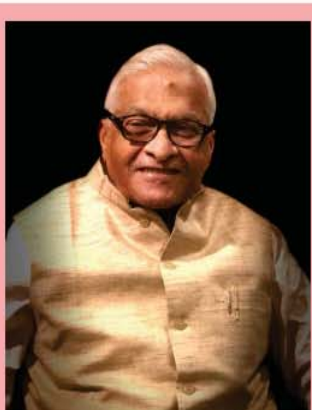

- समयबद्ध तरीके से प्राथमिकता के आधार पर 3 डिसमिल आवासीय भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया।
- भू हदबंदी के तहत 3,00,000 लाख एकड़ भूमि की प्राप्ति हुई, जिसमें से करीब 1.5 लाख एकड़ जमीन अनुसूचित जाति/जनजाति और भूमिहीन परिवारों के बीच वितरित की गई।
- बड़े व्यास के कूओं की एक एकड़ की योजना में 5 एकड़ से कम जोत वाले अनुसूचित जाति/जनजाति को एक सीमा तक वास्तविक व्यय का शत प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया गया।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने समाज के शोषित तबकों को पारंपरिक शोषण से मुक्त कराने की न सिर्फ बात कही, बल्कि अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान इस दिशा में सकारात्मक उपलब्धियां भी हासिल कीं। ये वो दौर था, जब गरीब किसान अक्सर महाजनों के कर्ज के चंगुल में फंस जाते थे और अपनी ज़मीन रेहन रखने पर मजबूर हो जाते थे, अक्सर एक बार रेहन रखी ज़मीन वापस नहीं मिल पाती थी। डॉ. मिश्र सरकार ने इस दुखद स्थिति के खात्मे का निर्णय लिया और महाजनी ऋण की माफी हेतु कानून लागू किया गया। रेहन की ज़मीन वापसी हेतु अधिनियम बनाकर 7 साल के बाद रेहन ज़मीन उसके मालिक को स्वतः वापस करने का प्रावधान किया गया। जैसा कि मैंने आपको याद दिलाया था कि पहले एकीकृत बिहार था, जिसमें झारखंड भी शामिल था। वहां आदिवासियों की बड़ी संख्या थी और बिचौलियों के कारण उनके शोषण की घटनाएं सामने आती थीं। डॉ. मिश्र ने पहले की व्यवस्था को समाप्त करते हुए वन विकास निगम की स्थापना की, जिसके माध्यम से सीधे आदिवासियों से वन्य सामग्रियों की खरीद की जाने लगी। छोटानागपुर क्षेत्र में गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की ज़मीन कब्जा करने की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए डॉ. मिश्र सरकार ने अभियान चलाया और आदिवासियों को वापस उनकी ज़मीन दिलाने की व्यवस्था की गई। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि डॉक्टर मिश्र के कार्यकाल की उपलब्धियों, महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी आपके सामने लाने का मकसद उन सवालों का जवाब देना है, जो अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं, साथ ही युवाओं की जो नई पीढ़ी है, वो उनकी सरकार के कदमों से स्वाभाविक रूप से अवगत नहीं है, उन्हें भी ये ज्ञात होना चाहिए कि उस दौरान क्या काम किए गए, सरकार ने क्या कदम उठाए।

बेघरों, भूमिहीनों के हितों को हमेशा दी प्राथमिकता

19 लाख से ज्यादा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य गरीब गृह विहीन परिवारों को सूची तैयार कराकर 11 लाख वासगीत स्वामित्व पर्चे वितरित।

समाज से सबसे पिछड़े तबकों, सबसे वंचित वर्गों तक सरकार की नीतियों का फायदा पहुंचाए बिना न तो विकास संभव है और न ही जनकल्याणकारी शासन की अवधारणा। मैं ये बताना चाहता हूं कि उस दौरान इन्हीं वर्गों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। डॉ. मिश्र सरकार ने 19 लाख से ज्यादा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य गरीब गृह विहीन परिवारों की सूची तैयार कराई और 11 लाख वासगीत स्वामित्व पर्चे वितरित किए। समयबद्ध तरीके से प्राथमिकता के आधार पर 3 डिसमिल आवासीय भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। भू हदबंदी के तहत सरकार को 3,00,000 लाख एकड़ भूमि की प्राप्ति हुई थी, जिसमें से करीब 1.5 लाख एकड़ ज़मीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भूमिहीन परिवारों के बीच वितरित की गई। इसके साथ ही बड़े व्यास के कुओं की एक करोड़ की योजना में 5 एकड़ से कम जोत वाले अनुसूचित जाति / जनजाति को एक सीमा तक वास्तविक व्यय का शत प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया गया।

झारखंड बनने से पहले ही क्षेत्र में रखी विकास की बुनियाद

- छोटानागपुर विकास प्राधिकार को संस्थाल परगना प्राधिकार, उत्तर छोटानागपुर प्राधिकार और दक्षिण छोटानागपुर प्राधिकार में बांटकर पूर्ण स्वायतता दी गई, योजनाओं की स्वीकृति और क्रियान्वयन सौंपा गया।
- छोटानागपुर प्रमंडल की सभी स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा, मूल्यांकन, प्रशासनिक निगरानी के लिए रांची स्थित मुख्यालय में लघु सचिवालय की स्थापना। प्राधिकार से संबंधित सभी मामलों की देखभाल के लिए प्राधिकृत।
- सिमडेगा, प. सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम,लातेहार, पलामू, गोड्डा, देवघर, साहेबगंज जिलों का निर्माण।
- कांवड़ियों की सुविधा के लिए देवघर और सुलतानगंज के बीच 8 विश्रामागार, 120 किलोमीटर के कंटीले, पथरीले मार्ग को कांवड़ियों के लिए सुविधाजनक बनाया गया।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने उस समय एकीकृत बिहार का हिस्सा और अब झारखंड के क्षेत्रीय विकास की मजबूत बुनियाद रखी थी। सिर्फ 5½ साल के छोटे से कार्यकाल में उन्होंने तत्कालीन बिहार के हर क्षेत्र के विकास के कदम उठाए। छोटानागपुर में 70 के दशक में स्थापित छोटानागपुर विकास प्राधिकार कार्य करने में सफल नहीं हो पा रहा था, इसे देखते हुए उन्होंने इसे तीन भागों संथाल परगना प्राधिकार, उत्तर छोटानागपुर प्राधिकार और दक्षिण छोटानागपुर प्राधिकार में विभाजित किया और तीनों को पूर्ण स्वायत्तता देते हुए योजनाओं की स्वीकृति और उनपर अमल का दायित्व सौंपा गया। छोटानागपुर प्रमंडल की सभी स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा और मूल्यांकन के साथ-साथ प्रशासनिक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए रांची स्थित मुख्यालय में लघु सचिवालय की स्थापना की गई और इसे प्राधिकार से संबंधित सभी मामलों की देखभाल के लिए प्राधिकृत किया। डॉ. मिश्र के कार्यकाल में ही सिमडेगा, प.सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, पलामू, गोड्डा, देवघर, साहेबगंज ज़िलों का निर्माण हुआ। सावन के महीने में बड़ी संख्या में बिहार के लोग कांवड़ लेकर सुल्तानगंज से देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर जाते हैं। डॉ. मिश्र सरकार ने इस मार्ग में 8 विश्रामागार बनवाए, साथ ही करीब 120 किलोमीटर के मार्ग को कांवड़ियों के लिए सुगम बनवाया। पहले ये पूरा मार्ग काफी कंटीला-पथरीला था, जिसके कारण कांवड़ यात्रियों को काफी मुश्किल होती थी। डॉ. मिश्र सरकार के इन कदमों के जरिये आप उनकी दूरदर्शिता, उनकी संवेदनशीलता का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं।

बिहार में अल्पसंख्यक कल्याण में डॉ. मिश्र का योगदान

- 10 करोड़ रुपये की वार्षिक पूंजी से अल्पसंख्यक वित्त निगम की स्थापना करके अल्पसंख्यक युवकों को आत्म नियोजन में वित्तीय मदद।
- बिहारशरीफ दंगों में 105 से अधिक दोषियों को विशेष अदालत गठित कराकर सजा दिलाई।
- भागलपुर दंगों में पीड़ित परिवारों को एक–एक लाख रुपये मुआवजा का भुगतान कराया, न्यायिक जांच आयोग गठित। 2000 बुनकर परिवारों का पुनर्वास कराया गया।
- दंगों की पुनरावृति रोकने के लिए सामूहिक जुर्माना कानून बनाया गया।

डॉ. मिश्र के कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों को आपके सामने रख रहा हूं। बिहार में 10 करोड़ रुपये की वार्षिक पूंजी से अल्पसंख्यक वित्त निगम की स्थापना की गई ताकि अल्पसंख्यक युवकों को आत्म नियोजन में वित्तीय मदद मुहैया हो। बिहार में पहली बार बिहारशरीफ दंगों में 105 से अधिक दोषियों को विशेष अदालत गठित कराकर सज़ा दिलाई। भागलपुर दंगों में पीड़ित परिवारों को एक–एक लाख रुपये मुआवजा का भुगतान कराया और न्यायिक जांच आयोग गठित कराई। 2000 बुनकर परिवारों का पुनर्वास कराया गया। दंगों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सामूहिक जुर्माना कानून बनाया गया।

बुनकरों की दशा सुधारने के लिए कई बड़े कदम

- करघा एवं सूत मुहैया कराया। बुनकरों द्वारा उत्पादित कपड़ों की खरीददारी 15 फीसदी अधिक मूल्य पर सरकार द्वारा करने का प्रावधान किया।
- 5 लाख से अधिक बुनकर परिवारों का कर्ज माफ किया गया।
- 70 हजार बुनकरों का बीमा कराया गया।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र का मानना था कि अल्पसंख्यक समुदाय को समाज और विकास की मुख्यधारा में लाए बिना सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। डॉ. मिश्र चूंकि कांग्रेस के थे और मैं भाजपा में हूं, इसलिए उनके कार्यकाल के बारे में बात करने की क्या ज़रूरत है? मैं ये साफ करना चाहता हूं कि डॉ. मिश्र कांग्रेस में थे और ये उनका फ़ैसला, उनकी अपनी विचारधारा थी और मेरा भाजपा में होना मेरा फैसला है, मेरी सोच है। डॉ. मिश्र के कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण के उनके कार्यों के बारे में बताना चाहता हूं कि उनकी सरकार ने बुनकरों के कल्याण और विकास के लिए करघा एवं सूत मुहैया कराया और उत्पादित कपड़ों की खरीदारी सरकार द्वारा 15 फीसदी अधिक मूल्य पर करने का प्रावधान किया। बिहार के 5 लाख से अधिक बुनकर परिवारों का कर्ज माफ किया गया। 70 हजार बुनकरों का बीमा भी उनकी सरकार के कार्यकाल में कराया गया था।

विधि-व्यवस्था दुरूस्त कर कायम किया कानूनराज

- बिहारशरीफ दंगे के बाद 2 बटालियन बीएमपी का गठन एंटी रॉयट फोर्स के रूप में किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए 50% आरक्षण किया गया।
- दंगे से प्रभावित अल्पसंख्यक कैंपों से अलग से पुलिस टुकड़ियां भेजर F.I.R. लिखवाई गई, जिसमें लगभग 1000 रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
- भागलपुर दंगों के पीड़ित परिवारों को एक–एक लाख रुपये का मुआवजा दिलाया, जांच के लिए न्याय आयोग का गठन किया।
- अनुसूचित जातियों पर अत्याचार से उत्पन्न स्थिति नियंत्रित करने के लिए पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, हजारीबाग में विशेष न्यायालय की स्थापना की गई।

डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान राज्य की विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए कई नई पहल की, जिसके सकारात्मक नतीजे सामने आए। बिहारशरीफ दंगे के बाद डॉ. मिश्र सरकार ने इस तरह की अवांछित स्थितियों को रोकने के लिए 2 बटालियन बीएमपी का गठन एंटी रॉयट फोर्स के रूप में किया। इस फोर्स में अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए 50% आरक्षण सुनिश्चित किया गया। दंगे से प्रभावित अल्पसंख्यक कैंपों में अलग से पुलिस टुकड़ियां भेजकर F.I.R दर्ज करवाई गई, जिसमें लगभग 1000 रिपोर्ट दर्ज कराई गई। देश में पहली बार ऐसा हुआ जब दंगा पीड़ित परिवारों को एक–एक लाख रुपये का मुआवजा दिलाया गया, डॉ. मिश्र सरकार ने भागलपुर दंगों के बाद विशेष जोर देकर इसे संभव कराया, साथ ही इसकी जांच के लिए न्याय आयोग का गठन किया। उन्हीं के कार्यकाल में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार से उत्पन्न स्थिति नियंत्रित करने के लिए पटना, मुज़फ्फरपुर, पूर्णिया, हजारीबाग में विशेष न्यायालय की स्थापना की गई। अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जातियों, जनजातियों को विधि–व्यवस्था मज़बूत करके किस तरह सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, इसके आदर्श के रूप में डॉ. मिश्र के मुख्यमंत्रित्व काल को देखा जाता है।

विधि-व्यवस्था के क्षेत्र में ठोस उपलब्धियों का दौर

- 150 नए थानों की स्थापना की गई और 150 सहायक थानों के पूर्ण थानों के रूप में उत्क्रमण किया गया।
- 70 नए अंचलों का सृजन किया गया, प्रमुख शहरों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए।
- अपराध रोकने के लिए विशेष क्राइम कंट्रोल नियम पारित किया गया।

बिहार में विधि–व्यवस्था को मज़बूत बनाए रखने का ठोस आधार पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र सरकार के कार्यकाल में ही रखा गया था। उनका कार्यकाल भले ही सिर्फ 5 साल का और वो भी 3 हिस्सों में बंटा हुआ रहा, लेकिन उनकी सरकार के नीतिगत निर्णय, नई पहल और महत्वपूर्ण उपलब्धियां काफी थीं। उन्होंने एकीकृत बिहार में 150 नए थानों की स्थापना कराई साथ ही 150 सहायक थानों के पूर्ण थानों के रूप में उत्क्रमण भी किया। विधि–व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए डॉ. मिश्र की सरकार ने 70 नए अंचलों का सृजन किया और प्रमुख शहरों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए। राज्य में अपराध रोकने के लिए विशेष क्राइम कंट्रोल नियम भी उन्हीं के कार्यकाल में पारित किया गया।

डॉ. मिश्र ने ही शुरू की थी जनता दरबार की परंपरा

- 1975 में जनता दरबार की शुरूआत, सप्ताह में 6 दिन जनता दरबार।
- जनता की शिकायतों को सीधे सुनने की परंपरा शुरू की। कई बार देर रात तक सुनवाई और अलगी सुबह शिकायतों के निराकरण की कार्रवाई शुरू।
- कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता अधिनियम बनाया गया।
- देश में पहली बार विधायक विकास फंड की शुरूआत की। विधायकों की अनुशंसा पर हर साल 3 लाख रुपये की राशि, प्रत्येक साल 5 किमी ग्रामीण सड़क निर्माण और प्रत्येक पंचायत के लिए 5 चापाकल की स्वीकृति का प्रावधान किया।

मुख्यमंत्री का जनता दरबार के बारे में नई पीढ़ी भी अच्छी तरह जानती है, लेकिन बिहार में इस परंपरा की शुरुआत सबसे पहले 1975 में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने की थी। डॉ. मिश्र का मानना था कि सरकार और जनता के बीच सीधा संपर्क होना चाहिए और सरकार का मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री तक जनता की सीधी पहुंच होनी चाहिए। हफ्ते में 6 दिन डॉ. मिश्र लोगों से सीधे उनकी समस्याओं को सुनते थे और अक्सर देर रात तक ये सिलसिला चलता रहता था। अगले दिन सुबह से ही जनता की शिकायतों के निराकरण की कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाती थी। डॉ. मिश्र ने ये महसूस किया कि कमज़ोर वर्गों के लोग धन की कमी के कारण विधिक सहायता हासिल नहीं कर पाते, इसे देखते हुए उनके कार्यकाल में विधिक सहायता अधिनियम लाया गया। आपको ये जानकर भी गर्व होगा कि देश में पहली बार बिहार में ही विधायक विकास फंड की शुरुआत की गई थी और ये डॉ. मिश्र के कार्यकाल में ही हुआ था। विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में हर साल 5 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने, प्रत्येक पंचायत में 5 चापाकल लगवाने की स्वीकृति का प्रावधान किया गया। हर साल 3 लाख रुपये विकास कार्यों पर व्यय करने की अनुशंसा का अधिकार भी विधायकों को दिया गया।

बिहार में पंचायती राज प्रणाली की मजबूत बुनियाद रखी

- 1980 तक पंचायती राज व्यवस्था पूरे राज्य में लागू। मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर सरकार ने शुरू की, डॉ. मिश्र सरकार से पूरी की।
- मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, भागलपुर में नगर निगम की स्थापना।
- 1962 में मृतप्राय जिला बोर्ड को जीवंत किया। सरकार की ओर से इसमें 10 अत्यंत पिछड़ा, दलित, आदिवासी सदस्यों का मनोनयन किया गया।
- 1978 में कर्पूरी ठाकुर सरकार ने पंचायत स्तर पर चुनाव शुरू कराया, डॉ. मिश्र सरकार ने प्रखंड और जिला स्तर पर पूरा कराया।
- सभी पंचायतों में क्रीड़ा केंद्र खोलने की योजना चलायी गई। प्रत्येक क्रीड़ा केंद्र पर 1200 रुपये के अनुमानित खर्च में से 600 रुपया केंद्र से मिलना था।

पंचायती राज की मज़बूती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी सपना था और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सत्ता के विकेंद्रीकरण के जरिये पंचायती राज को मजबूत करने के कदम उठा रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने साढ़े तीन दशक पहले ही पंचायती राज व्यवस्था की मज़बूत बुनियाद रख दी थी। 1980 तक पंचायती राज व्यवस्था पूरे राज्य में पूर्ण रूप से लागू। मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर सरकार ने शुरू की, डॉ मिश्र सरकार ने पूरा किया। मुज़फ्फरपुर, दरभंगा, गया, भागलपुर में नगर निगम की स्थापना की गई। 1962 से ही ज़िला बोर्ड मृतप्राय थे, डॉ. मिश्र के प्रयासों से इन्हें फिर से संगठित करके नया जीवन दिया गया। ज़िला बोर्ड में सरकार की ओर से 10 अत्यंत पिछड़ा, दलित, आदिवासी सदस्यों का मनोनयन करके इसमें सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। 1978 में मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर सरकार के कार्यकाल में पंचायत स्तर तक चुनाव संपन्न हुआ था। डॉ. मिश्र के कार्यकाल में प्रखंड और ज़िला स्तरों पर चुनाव संपन्न कराया गया। इसके अलावा केंद्रीय योजना के तहत सभी पंचायतों में क्रीड़ा केंद्र खोलने की योजना चलाई गई। प्रत्येक क्रीड़ा केंद्र पर 1200 रुपये के अनुमानित खर्च में से 600 रुपया केंद्र से मिलना था।

भ्रष्टाचार नियंत्रण के क्रांतिकारी कदम

- खुद मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्यों, विधानमंडल के सदस्यों को लोकायुक्त जांच के दायरे में लाया।
- सरकारी, अर्द्ध सरकारी, विश्वविद्यालय और सहकारिता को भी लोकायुक्त जांच की परिधि में लाया गया।
- इन सभी के लिए चल–अचल संपत्तियों की घोषणा अनिवार्य।
- 1989–90 में लाया गया बिहार लोकायुक्त संशोधन अधिनियम का प्रस्ताव एक क्रांतिकारी कदम था।
- मार्च 1990 में जनता दल की सरकार बनी और डॉ. मिश्र सरकार के इन फैसलों की अनदेखी कर दी गई।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र का मानना था कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए इसे शीर्ष स्तर से ही मिटाना होगा। मुख्यमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने को लेकर देश में राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है, लेकिन डॉ. मिश्र सरकार के कार्यकाल में करीब तीन दशक पहले ही 1989–90 में बिहार लोकायुक्त संशोधन अधिनियम का प्रस्ताव लाया गया था। उस दौर में ये क्रांतिकारी प्रस्ताव था क्योंकि इसके तहत मुख्यमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में रखा गया था। सरकार के सभी मंत्री, विधानमंडल सदस्यों के साथ–साथ सरकारी, अर्द्धसरकारी कर्मियों, विश्वविद्यालय और सहकारिता सभी को लोकायुक्त जांच की परिधि में लाया गया। इन सभी के लिए चल–अचल संपत्तियों की घोषणा अनिवार्य कर दी गई। मार्च 1990 में बिहार में जनता दल की सरकार बनी और डॉ. मिश्र सरकार के इन ऐतिहासिक फैसलों की अनदेखी कर दी गई।

अवैध धन पर संपत्ति जब्ती का कठोर प्रावधान

- 1989 से पूरे राज्य में बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1983 को लागू किया।
- अवैध धन प्रमाणित होने पर जब्त करने का प्रावधान।
- बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में विभिन्न विभागों में अनियमित कार्यों में सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता रोकने के लिए प्रख्यापित कर दंडनीय बनाया गया।
- सरकारी अधिकारियों द्वारा या उनके पक्ष में पदस्थापन, स्थानांतरण के लिए गैर सरकारी तंत्र की सहायता लेने को दंडनीय अपराध माना गया।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और पारदर्शी शासन स्थापित करने का एक और क्रांतिकारी कदम था अवैध आय प्रमाणित होने पर संपत्ति जब्ती। डॉ. मिश्र के मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1983 को 1989 से पूरे एकीकृत बिहार में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों, लोक उद्यम कर्मचारियों, सहकारी समितियों के कर्मचारियों, स्थानीय निकायों और सरकार द्वारा अनुदानित एजेंसियों के कर्मचारियों, ठेकेदारों, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के विक्रेताओं, वन उत्पादों की चोरी करने वालों, शराब में मिलावट करने वालों और आय से अधिक संपत्ति रखने वालों की गतिविधियों पर अंकुश रखना था। इसी अधिनियम के प्रावधान के तहत अवैध संपत्ति की जब्ती शामिल है। इस अधिनियम में पदस्थापन, स्थानांतरण के जरिये गलत तरीके से लाभ कमाने की प्रवृति पर रोक लगाने के लिए गैर सरकारी तंत्र की सहायता लेने को दंडनीय अपराध मानने का प्रावधान भी लागू किया गया।

मंत्री पर आरोप लगने पर कार्रवाई के किए प्रावधान

- 19 फरवरी 1983 के संकल्प द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों के खिलाफ जांच की नई प्रक्रिया की शुरूआत।
- इस प्रक्रिया के तहत अगर किसी मंत्री पर आरोप हो तो विधानसभा के कम से कम 33 सदस्य साक्ष्य का वर्णन करते हुए हस्ताक्षर के साथ विधानसभा को दे सकते थे।
- विधानसभा अध्यक्ष, राजनीतिक दलों की समिति 15 दिन में विचार करके प्रथम द्रष्टया आरोप साबित होने पर आरोपपत्र मुख्यमंत्री को भेज सकते थे। इसके बाद मुख्यमंत्री सभी कागजात विधानसभा अध्यक्ष को भेजते। फिर समिति में विचार के बाद विधानसभा अध्यक्ष की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री को आगे की कार्रवाई का प्रावधान।
- डॉ. मिश्र ने मुख्यमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में रखने का प्रस्ताव 1989 में ही किया था।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र के नेतृत्व वाली सरकार ने 19 फरवरी 1983 के संकल्प द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों के खिलाफ जांच की नई प्रक्रिया की भी शुरुआत कराई। इसके तहत अगर किसी मंत्री के खिलाफ आरोप हो तो विधानसभा के कम से कम 33 सदस्य विस्तार से लिखकर और हस्ताक्षर करके इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष को दे सकते हैं। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष और राजनीतिक दलों के सदस्यों की समिति को 15 दिन में आरोप पर विचार करके और प्रथम दृष्टया आरोप के साबित होने पर मुख्यमंत्री को लौटाना था। अगर समिति संतुष्ट हो तो विधानसभा अध्यक्ष की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री को आगे की कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया। इस तरह पारदर्शी शासन की स्थापना के लिए डॉ. मिश्र ने ऐसे प्रावधान किए कि मंत्री भी आरोप लगने पर कार्रवाई के दायरे में रहे।

राजनीति में जन भागीदारी के साथ विकास की दूरदर्शिता

- 14 नवंबर 1980 को पूरे बिहार में जिला परिषदों का शुभारंभ कर 5 साल की अवधि पूरा करने के लिए वित्तीय शक्तियों से लैस किया गया, साथ ही इसमें दलित और पिछड़ों को आरक्षण दिया गया।
- राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के लिए आरक्षित सड़कों को छोड़कर बाकी सड़कों पर निजी बसें चलाने के लिए अनुज्ञा पत्र की प्रणाली खत्म करने का निर्णय।
- मैट्रिक पास शिक्षित बेरोजगारों और ऐसे लोगों की सहकारी समितियों को बसों के पंजीकरण के बाद बसें चलाने की अनुमति की छूट दी गई।
- पर्यटन विकास के लिए पर्यटन निगम की स्थापना की गई।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करके सत्ता के विकेंद्रीकरण की स्थापना की। आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि 14 नवंबर 1980 को पूरे बिहार में डॉ. मिश्र के कार्यकाल में ही ज़िला परिषदों का शुभारंभ किया गया था। ज़िला परिषदों का कार्यकाल 5 साल का था और ये 5 साल की अवधि के दौरान सक्षमता के साथ अपने दायित्व का निर्वाह कर सकें, इसके लिए इन्हें वित्तीय शक्तियों से लैस किया गया। डॉ. मिश्र ने हमेशा ये कोशिश की कि दलितों और पिछड़ों को विकास का पूरा अवसर मुहैया कराई जाए, इसी सोच को उन्होंने ज़िला परिषदों में भी दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान करके सुनिश्चित कराया। बिहार में परिवहन के साधनों की कमी से जनता को परेशानी नहीं हो, इसके लिए डॉ. मिश्र सरकार ने राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के लिए आरक्षित सड़कों को छोड़कर बाकी सड़कों पर निजी बसें चलाने के लिए अनुज्ञा पत्र की प्रणाली खत्म करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। इन सड़कों पर मैट्रिक पास शिक्षित बेरोजगारों और ऐसे लोगों की सहकारी समितियों को बसों के पंजीकरण के बाद बसें चलाने की अनुमति की छूट दी गई। बिहार में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं और इसे देखते हुए डॉ. मिश्र सरकार ने पर्यटन विकास के लिए पर्यटन निगम की स्थापना की।

''निजी तौर पर मुझसे किसी का दुराव हो वह उतना महत्त्वपूर्ण नहीं लेकिन उन दिनों कुछ राज्य स्तरीय हमारे दल के ही लोग मुझसे प्रतिशोध लेने की भावना से कांग्रेस आलाकमान को एवं जनमानस को मेरे विरुद्ध दुष्प्रचार फैलाते रहे। ऐसे लोगों द्वारा बार-बार बिहार के हित से जुड़े मुद्दों को उठाने के कारण ही मुझे मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा था। मुख्यमंत्री के रूप में इन्हीं मुद्दों को लगातार उठाते रहने एवं अपने कार्यकाल में समाज के सभी वर्गों के लिए अनेक निर्णय लेने के लिये मुझे विवादास्पद बनाया गया। क्या यही मेरी नियती थी? स्मृतियों के गलियारे में जब मुड़कर देखता हूँ, तो लगता है कि समय ने मुझे अवसर देकर भरपूर अपमान और दुःख भी दिया।''

–डॉ. जगन्नाथ मिश्र

डॉ. जगन्नाथ मिश्र के मुख्यमंत्रित्व काल के उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी यहाँ उपलब्ध है।

www.jagannathmishra.in drjagannathmishra drjagannathmishra